न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—93/2024 वाद पत्र

उनवान

1. कैलाश पिता रामा जी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी रूगनाथपुरा पटवार हल्का रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. बालूलाल पिता मोहन जी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी रूगनाथपुरा पटवार हल्का रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. खेमा पिता ज्वारा (जवाहर) जी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी रूगनाथपुरा पटवार हल्का रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. देईलाल पिता ज्वारा (जवाहर) जी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी रूगनाथपुरा पटवार हल्का रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक कारोई तह0 भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा (राज.)

—प्रतिवादीण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188—92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ताः—

1. श्री भैरूलाल बाफना
2. श्री किशन लाल कुमावत

निर्णय दिनांक 02/1/26

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल बाफना द्वारा दिनांक 11.11.2024 को वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188—92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को रजिस्टर क्रम संख्या 93/2024 पर दर्ज किया गया तथा विधिक प्रकिया प्रारम्भ की गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की ग्राम लापलिया खेड़ा पटवार हल्का रामपुरिया तह0 भीलवाड़ा की खातेदारी की आराजी संख्या 729, 730, 731, 732 कुल किता 04 कुल रकबा 1.1001 हैक्टयर आराजियात में से अभिलिखित वादीगण की हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा खुर्द—बुर्द अंतरित व भारित नहीं करने और न ही वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से दिनांक 06.08.2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किः—

उक्त उनवान का वादपत्र वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया है जो जैर कार्यवाही है।

प्रकरण कृषि भूमि से संबंधित होकर उसमें वादीगण ने अपना व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का हिस्सा होना स्वीकार किया है तथा हिस्सा होने बाबत कोई भी विवाद या उज्र नहीं उठाया है।

वादग्रस्त कृषि भूमि अविभाजित भूमि होकर संयुक्त राजस्व खाते में दर्ज होना वादीगण ने स्वीकार किया है तथा जमाबन्दी वादपत्र के साथ में पेश हुयी है जो अविववादित है।

प्रकरण में वादग्रस्त कृषि भूमि अविभाजित होने से प्रत्येक इंच—इंच भूमि पर सभी खातेदारान का संयुक्त कब्जा होना उपधारित किया जायेगा जब कि उक्त भूमि का विभाजन नही हो जाता है।

वादीगण ने कब्जा होने के आधार पर उक्त वादपत्र पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। बिना घोषणा की दाद के धारा 188—92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादपत्र मैन्टेनेबल नहीं है तथा संयुक्त राजस्व खाता होने से खसरा गिरदावरी रिपोर्ट में भी संयुक्त कब्जा दर्शाया हुआ है जो सरकारी रेकार्ड है। वादीगण की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह दर्शित होता हो कि उनका अधिक भूमि पर कब्जा हो या कब्जा होने बाबत् कोई भी विक्रय बय बक्षीश का कोई भी दस्तावेज अपने समर्थन में पेश नहीं किया है मात्र कयासी तौर पर अपना कब्जा होने एवं बिना घोषणा के ही प्रतिवादी के हिस्से को रोकने एवं उनके उपयोग—उपभोग में बाधा कारित करने की गरज से स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष न्यायालय से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है जो कानूनन अवैध होकर उक्त वादपत्र चलने योग्य नहीं है।

2/1/26

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

सहखातेदार के विरूद्ध कानूनन कोई भी अस्थायी या स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमया जाकर वादीगण का वादपत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2025 पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 02/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 एवं 92क के अन्तर्गत सहखातेदारों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (43) में अभिधारी की व्याख्या की गई है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारों के मध्य विभाजन की व्याख्या की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार का जोत की प्रत्येक इंच भूमि पर अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का चाहा गया अनुतोष विधि सम्मत नहीं है। कोई भी सहखातेदार जोत के अन्य सहखातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु सक्षम नहीं है, क्योंकि प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त होता है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से सिविल प्रकिया संहिता की धारा 151 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खारिज किया जाना चाहिए।

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि का एक अपंजीकृत इकरारनामा/राजीनामा वादीगण के पक्ष में निष्पादित किया है जिससे यह सुस्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादीगण के पूर्वज वादग्रस्त भूमि को लगभग 100 वर्षों पूर्व वादीगण के पूर्वजों से विकय कर चुके है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 02/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है और प्रत्येक सहखातेदार का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा काश्त होता है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का चाहा गया अनुतोष दिया जाना विधि अनुकूल नहीं है। अतः वादी का वाद प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव

–: आदेश :–

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2025 स्वीकार किया जाता है और वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

02/1/26

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा